

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 668वीं बैठक दिनांक 09/08/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 9242/2022 M/s Bhedaghat Mining, Prop., Smt. Mini Agrawal, Khasra No.- 29/1, & 29/2, Village- Ainthakheda, Tehsil & District- Jabalpur, State- M.P. MP Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 1.20 ha. (12004 Tonne per annum) (Khasra No. 29/1, 29/2), Village - Ainthakheda, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP)**

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मिनी अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Smt. Mini Agrawal, Prop., M/s Bhedaghat Mining, Khasra No.- 29/1, & 29/2, Village- Ainthakheda, Tehsil & District- Jabalpur, State- M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	29/1, & 29/2 (निजी – नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी श्री रामलाल उईक है, जिनकी सहमति परियोजना को प्राप्त है)	1.200 Ha.
स्थल	Khasra No Village- Ainthakheda, Tehsil & District- Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 15686-87 दिनांक 17/11/21 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1 Dolomite Quarry	
टॉर	समिति की पूर्व की 581वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में उत्पादन क्षमता	

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

	डोलोमाइट-12004 Tonne per annum के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्राजेक्ट।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट-12,004 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार डोलोमाइट-12,004 टीपीए हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 830 दिनांक 17/03/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.95 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 830 दिनांक 17/03/21 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 830 दिनांक 17/03/21 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ऐटाखेड़ा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 26/01/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान के अंदर 02 पेड़ हैं। No tree Felling
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान के अंदर से एक कच्चा रोड़ जा रहा है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि यह एक हॉलेज रोड़ है। उत्तर-पश्चिम दिशा में रोड़ -242 एवं 440 मी., पक्का रोड़ - 479 मी. दक्षिण दिशा-पक्का रोड़ - 402 मी. पर दक्षिण-पश्चिम दिशा - पक्का रोड़ 282 मी.
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुवाई में रोजगार, खदान का गहरीकरण ज्यादा ना हो इत्यादि आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है, प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया किया कि इस का विवरण अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 67 के सरल क्रमांक-28 पर दर्ज है।

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

प्रकरण का परीक्षण :-

- 1- खदान का भू-स्वामित्व अनुसूचित जनजाति का है। जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति विधि सम्मत नहीं होना पाया गया है। अतः सक्षम अधिकारी से सहमति प्राप्त कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।
- 2- प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाइट-12,004 टीपीए।
2. सक्षम अधिकारी से भू-स्वामित्व संबंधी सहमति प्राप्त कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.92 लाख प्रति वर्ष।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
तालाब के गहनीकरण के लिए	40,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आम, जामुन, नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
2	गैर खनन क्षेत्र	आम, नीम, जामुन, खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

3	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
5	ग्राम पंचायत ऐंठाखेड़ा के सहयोग से ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
6	ग्राम पंचायत ऐंठाखेड़ा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्द पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा।			
कुल			1400

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No 9345/2022 Shri Ramesh Kumar Mahule Village- Paraswara Chak, Tehsil-Nainpur, District, Mandla (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10001 Cum per annum) (Khasra No. 21 Part), Village - Paraswara Chak, Tehsil - Nainpur, Dist. Mandla (MP)

परियोजना प्रस्तावक के परिवेश पोर्टल अपलोड पत्र दिनांक 06/07/23 अनुसार मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर के स्थान पर मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. को नियुक्त किया गया है प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 09/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश कुमार महुले एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAMESH MAHULE, Owner, Village- Paraswara Chak, Tehsil-Nainpur, District, Mandla (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	21(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Hectares
स्थल	Village- Paraswara Chak, Tehsil- Nainpur, District- Mandla (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 1776 दिनांक 30/11/21 के द्वारा स्वीकृत।	

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-1 Stone Quarry
टॉर	समिति की पूर्व की 610वीं बैठक दिनांक 19/10/22 में पत्थर उत्पादन क्षमता 10,001 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,001 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-10,001 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1332 दिनांक 22/08/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 06.61 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1332 दिनांक 22/08/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1332 दिनांक 22/08/22 अनुसार शासकीय नाला 50 मीटर की दूरी पर है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत परसवाड़ा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक 09/12/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
	पूर्व दिशा- प्राकृतिक नाला -50 मी., पक्का रोड-361 मी. पश्चिम दिशा- पक्का रोड- 242 मी.
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई में धूल की समस्या, जल छिडकाव, वृक्षारोपण, केशर के पास पेड़ लगाये इत्यादि आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है, प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया किया कि इस का विवरण अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 67 के सरल क्रमांक-03 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन—10,001 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.50 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.03 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक शाला परसवाड़ा में डेस्कटॉप (प्रिंटर के साथ)की व्यवस्था	50,000
ग्राम परसवाड़ा के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	10,000
कुल	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आम, जामुन, नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
2	गैर खनन क्षेत्र	आम, नीम, जामुन, खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
3	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, कुसुम, बीजा, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
5	ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा।			
कुल			2400

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No 9167/2022 Shri PRASHANT JAIN, PARTNER, M/s Green Mining Company, R/O 108, RAJUL COMPLEX AAGA CHOWK, JABALPUR (M.P.), Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 1.40 ha. (15364 Tonne per annum) (Khasra No. 17), Village - Ainthakheda, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रशांत जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PRASHANT JAIN, PARTNER, M/s Green Mining Company, R/O 108, RAJUL COMPLEX AAGA CHOWK, JABALPUR (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	17 (निजी भूमि श्री रामलाल उईके की जिनकी सहमति परियोजना प्रस्तावक प्राप्त –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.40 Ha.
स्थल	Village – Ainthakheda, Tehsil - Jabalpur & District Jabalpur, (M.P.)
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 15683–84 दिनांक 17/11/21 के द्वारा स्वीकृत।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1 Dolomite Quarry
टॉर	समिति की पूर्व की 574वीं बैठक दिनांक 29/05/22 में उत्पादन क्षमता डोलोमाइट–15,364 टीपीए के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी।
ब्लैस्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लैस्टिंग प्रस्तावित।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट–15,364 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर– डोलोमाइट–15,364 टीपीए हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 813 दिनांक 15/03/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.941 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 813 दिनांक 15/03/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है।

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

	वन सीमा कक्ष क्रमांक आर.एफ. 172 से 1555 मीटर एवं नारंगी कक्ष क्र. ओ-448 से 5.40 मीटर होने से प्रकरण को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित वन सीमा से 250 मीटर की परिधि में आने वाले प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर, दिनांक 24/08/21 को खदान स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त की गई है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 813 दिनांक 15/03/22 अनुसार नाला लगा है, नाले से प्रतिबंधित दूरी 50 मीटर छोड़ी गई है तथा 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ऐंठाखेड़ा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- नहर -337 मी., आबादी-486 मी. दक्षिण दिशा- खदान के उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिणी पश्चिम दिशा की ओर से एक प्राकृतिक नाला निकल रहा है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 50 मी सेट बैंक छोड़ा गया है एवं दक्षिण-पश्चिमी ओर से खदान के अंदर से एक एच.टी. लाईन निकल रही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि तत्संबंध में 100 मी सेट बैंक छोड़ा गया है।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई में मेधावी छात्रों को ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जावे धूल की समस्या, जल छिडकाव, वृक्षारोपण, इत्यादि आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-27 पर दर्ज है ।

प्रकरण का परीक्षण :-

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टैण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाइट-15,364 टीपीए।

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.39 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.72 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पशुओं के पानी पीने के लिए मेड़ा बनाया जाएगा	50,000
मेधावी छात्र के लिए स्कॉलरशिप फिक्स्ड डिपॉजिट की जाएगी जिसका ब्याज छात्रों को दिया जाएगा हर साल	70,000
कुल	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आम, जामुन, नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
2	गैर खनन क्षेत्र	आम, नीम, जामुन, खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
3	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
5	ग्राम पंचायत ऐंठाखेड़ा के सहयोग से ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
6	ग्राम पंचायत ऐंठाखेड़ा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्द पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा ।			
कुल			1400

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

4. Case No 10081/2023 Shri Jahid Hussain, Lease Owner, R/o Village-Pramilaganj, Alot, District-Ratlam (MP)-457114, Prior Environment Clearance for Karwakhedi Stone Mine in an area of 2.00 ha. (M-sand-5320, Stone-5320 cum per year) (Khasra No. 86/1), Village-Karwakheri, Tehsil-Tal, District-Ratlam (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जायेद हुसेन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri JAHID HUSSAIN, lease owner, Village-Pramilaganj, Alote Raltam (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	86/1 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 ha.
स्थल	Village-Karwakhedi, Tehsil-Tal, District-Raltam (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 5655-59 दिनांक 10/05/23 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2 Stone Mine	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार सिंगल रो ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-5320 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सैंड-5320 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-5320 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सैंड-5320 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 29/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 29/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 29/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, पक्का रास्ता / नाला नहीं है।	

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत करवाखेड़ी जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक 18/08/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के अंदर 06 पेड़ लगे हैं। Tree Felling – No.
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान का मध्य भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान आंवटन के पूर्व से खुदा हुआ है (लगभग 0.7 हे), तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन योजना में दर्ज है तथा हमें यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। उत्तर दिशा- पक्का रोड़-94 मी., उत्तर-पूर्व-शेड़- 199 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम ने पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 29/05/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्य प्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

प्रकरण का परीक्षण :-

अनुमोदित खनन योजना अनुसार सिंगल रो ब्लैस्टिंग प्रस्तावित है परन्तु सिया की बैठक क्र. 797 दिनांक 01/08/2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है “ऐसी अनुमोदित खनन योजना जिसमें ब्लैस्टिंग प्रस्तावित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन-ब्लैस्टिंग का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है उन प्रकरणों में नॉन-ब्लैस्टिंग संक्रिया हेतु खनिज विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित खनन योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायें।

- 5. Case No 10082/2023 Shri Manohar Singh Rajput, Owner, R/o Indra Chowk, Hoshangabad (MP), Prior Environment Clearance for Rampura Chakaldi Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (25034 cum per year) (Khasra No. 192/2/1, 192/4, 192/5, 192/6), Village- Rampura Chakaldi, Tehsil – Rehti District – Sehore (M.P.)**

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मनोहर सिंह राजपूत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	Shri Manohar Singh Rajput, owner, Indra Chowk Hoshangabad (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल(सरकारी/निजी)	192/2/1, 192/4, 192/5, 192/6 (परियोजना प्रस्तावक के स्वामित्व की भूमि –नॉन फॉरेस्ट)	2.00 Hectare
स्थल	Village – Rampura Chakaldi, Tehsil – Rehti District – Sehore (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के पत्र क्रमांक 672 दिनांक 17/02/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2 Stone Quarry.	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्राजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-25,034 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-25,034 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 943 दिनांक 19/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.012 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 943 दिनांक 19/04/23 अनुसार रातापानी अभ्यारण की दूरी 07. 00 किलोमीटर है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 943 दिनांक 19/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चकल्दी जिला सिहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक 24/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र खुदा हुआ है ।	
	दक्षिण –पश्चिम दिशा– नहर–104 मी.	
	पूर्व दिशा– शेड़–153 मी.	
	पश्चिम दिशा– पक्का रोड़–450 मी.	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर ने एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 943 दिनांक 19/04/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त खदान नवीन डी.एस.आर. में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण	

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

	समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	--

प्रकरण का परीक्षण :—

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने यह बताया कि यह निजी भूमि है। पूर्व में उनके द्वारा तालाब का निर्माण किया जा रहा था पत्थर मिलने पर उनके द्वारा खनन हेतु आवेदन किया गया एवं इस संबंध में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने यह बताया कि ओव्हर बर्डन को खदान के एप्रोच रोड बनाने में उपयोग में लाया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टैण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,034 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 14.73 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.35 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल चकल्दी में दो कम्प्यूटर, प्रिंटर, प्रिंटर टेबल के साथ में और 2 अलमारी	90,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, बॉस, करंज, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
4	ग्राम पंचायत भवन एवं शासकीय स्कूल में	कदम्ब, कचनार, गुलमोहर, पीपल, मुनगा।	100
गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा।			
कुल			2400

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No 10083/2023 Shri Amritansh Dubey, Proprietor, M/s Savikrish Minerals, R/o 874, Shastri Nagar, H-1, Near Benwali, Tripur Sundari Ward, District-Jabalpur (MP)-483119, Prior Environment Clearance for Ghughra Dolomite Mine Quarry in an area of 1.50 ha. (32,259 cum per year) (Khasra No. 105/1, 105/2, 105/3, 106), Village-Ghughara, Tehsil-Shahpura, District-Jabalpur (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमृतांश दुवे राजपूत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स काग्नोजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri AMRITANSH DUBEY, Proprietor M/S - Savikrish Minerals, 874, SHASHTRI NAGAR, H-1, NEAR BANWALI, TRIPUR SUNDARI WARD, DISTRICT JABALPUR (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	105/1, 105/2, 105/3 & 106- (निजी भूमि – नॉन फॉरेस्ट, भू-स्वामी श्री गंगाराम गौड़ की परियोजना प्रस्तावक के उत्खनन हेतु सहमति प्राप्त है)	1.50 Ha.
स्थल	ग्राम GHUGHARA तसहील Shahpura जिला Jabalpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 13831-32 दिनांक 16/10/22 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2 Dolomite Mine Quarry	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट-32,259 टीपीए हेतु आवेदन किया गया	

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

	है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार डोलोमाइट-32,259 टीपीए हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3366 दिनांक 12/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3366 दिनांक 12/12/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3366 दिनांक 12/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धरमपुरा जिला जबलपुर के पत्र दिनांक 16/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर - पूर्व दिशा- आबादी -237 मी. एवं 95 मी. पर शेड़ है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि फसल रखने के लिये गोदाम बने है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-29 पर दर्ज है।

प्रकरण का परीक्षण :-

खदान का भू-स्वामित्व अनुसूचित जनजाति का है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति विधि सम्मत होना नहीं पाया गया है। अतः सक्षम अधिकारी से सहमति प्राप्त करने के उपरांत समिति पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा करती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाइट-32,259 टी.पी.ए.।
2. सक्षम अधिकारी से भू-स्वामित्व संबंधी सहमति प्राप्त कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैं
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.29 लाख प्रति वर्ष।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
घुघरा शासकीय प्राथमिक स्कूल में फिसलपट्टी और झूला लगवाया जाएगा।	80,000/-
शासकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षको के लिए 2 टेबल – चेयर एवं प्रधानाचार्य जी कि लिए 1 टेबल-चेयर दिये जाएंगे।	20,000/-
कुल	1,00,00

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	450
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉ, अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1050
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (मीटर 1 पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा।			
कुल			1800

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. **Case No 10078/2023 Shri Ramandeep Marwaha, Owner, R/o, 1925, Ramsingh Builing, State Bank of India, Mastna Chowk, Ranjhi, District-Jabalpur (MP)-482011, Prior Environment Clearance for Hansapur Boulder/Gitti, Murum Deposit in an area of 2.00 ha. (Gitti-50,686 cum per year, Murum-15,852 cum per year) (Khasra No. 77/2, 77/3), Village-Hansapur, Tehsil-Kundam, District-Jabalpur (MP)**

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामप्रताप मरवाह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAMANDEEP MARWAHA, Owner, 1925, Ramsingh Building, State Bank of India, Mastna Chouk, Ranjhi, District: Jabalpur (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	77/2, 77/3 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी सहमति हेतु परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है) 2.00 Ha.
स्थल	ग्राम HANSAPUR तसहील Kundam जिला Jabalpur (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 283 दिनांक 26/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2 Boulder/Gitti, Murum Deposit
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा गिट्टी-1,28,078.6 टीपीए एवं मुरुम-5,706 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार गिट्टी/बोल्डर-50,686 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-15,852 घनमीटर हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 377 दिनांक 09/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.420 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 377 दिनांक 09/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 377 दिनांक 09/06/23 अनुसार 56 मीटर पर बरसाती नाला, 148 मीटर पर ग्रामीण सड़क, स्थित है, शेष 500 मीटर की दूरी से बाहर है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मड़ई जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक 26/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के अंदर कई पेड़ लगे हैं। किंतु इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि ये पेड़ नहीं झाड़िया हैं जिनको काटा जाना प्रस्तावित है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- प्राकृतिक नाला -56 मी. दक्षिण दिशा- ग्रामीण सड़क-148 मी.

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर ने पत्र क्रमांक 372 दिनांक 09/06/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा प्रकरण में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) होने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
----------------------------------	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टैण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता गिट्टी/बोल्डर—50,686 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम—15,852 घनमीटर ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 05.26 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.44 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
हँसापुर शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप की (प्रिंटर के साथ) व्यवस्था	50,000
ग्राम हँसापुर के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	10,000
कुल	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.सं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
---------	---	---------------------	---------------------

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

1	बैरियर जोन	आम, जामुन, कथल, नीम अम्बाला, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
2	गैर खनन क्षेत्र	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
5	ग्राम पंचायत मड़ई के सहयोग से ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
6	ग्राम पंचायत मड़ई के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
गारलेण्ड ट्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्द पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा।			
कुल			3400

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No 10084/2023 Shri Jitendra Sonare, Lessee, R/o Bhavani Chowk, Tehsil-Ghodadongri, District-Betul (MP)-460443, Prior Environment Clearance for Fulgohan Stone Quarry in an area of 1.49 ha. (5888 cum per year) (Khasra No. 164/2, 164/6, 165), Village Fulgohan, Tehsil- Ghodadongri, District- Betul (M.P.)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र सोनारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri JITENDRA SONARE, Lessee, R/o- Bhavani Chauk Ghodadongri, Tehsil- Ghodadongri, District- Betul, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	164/2, 164/6, 165 (भू-स्वामी गौड है, जिसकी सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है -नॉन फॉरेस्ट)	1.49 hectares
स्थल	Village Fulgohan, Tehsil- Ghodadongri, District- Betul (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1269 दिनांक 06/07/18 के द्वारा स्वीकृत।	

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2 Stone Quarry
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 31 दिनांक 24/09/18 के द्वारा पत्थर-5,888 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-5,888 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-5,888 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 999 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदान पूर्व में स्वीकृत थी, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 999 दिनांक 12/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 999 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत फूलगोहान जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 29/05/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र खुदा हुआ है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई है । उत्तर-पश्चिमी दिशा- पक्का रोड़-50 मी. एवं शेड़-130 मी
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-19 के सरल क्रमांक-20 पर दर्ज है ।

प्रकरण का परीक्षण :-

1. प्रकरण का परीक्षण समिति द्वारा परिवेश में अपलोडेड फार्म-1 के आधार पर किया गया ।
2. खनन का कार्य पूर्व में हुआ है डिया की ई.सी. शर्तों के अनुसार 500 पौधारोपण होना चाहिए था, प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि पौधारोपण की शर्तों का पालन नहीं किया गया है । अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार पौधे लगाने चाहिए जिनका पालन प्रतिवेदन एवं सी.ई.आर. संबंधी किये गये कार्यों की दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ संशोधित फार्म-1 सहित प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

- 3- खदान का भू-स्वामित्व अनुसूचित जनजाति का है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति विधि सम्मत होना नहीं पाया गया है। अतः सक्षम अधिकारी से सहमति प्राप्त कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है ।
4. अनुमोदित खनन योजना अनुसार सिंगल रो ब्लास्टिंग प्रस्तावित है परन्तु सिया की बैठक क्र०. 797 दिनांक 01/08/2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है "ऐसी अनुमोदित खनन योजना जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन-ब्लास्टिंग का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है उन प्रकरणों में नॉन-ब्लास्टिंग संक्रिया हेतु खनिज विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित खनन योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायें।

9. Case No 10090/2023 Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Raipur Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (51,000 cum per year) (Khasra No. - 244), Village-Raipur, Tehsil-Dabra, District- Gwalior (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारे सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री राजेश कुमार गंगेले, खनिज निरीक्षक, जिला – ग्वालियर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Raipur Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (51,000 cum per year) (Khasra No. - 244), Village-Raipur, Tehsil-Dabra, District- Gwalior (MP) [429862]		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	244, ग्राम – रायपुर, तहसील –डबरा, जिला – ग्वालियर (म.प्र.),	5.00 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी, Sand Quarry		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सिंध नदी में स्थित है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोड़ने के कारण 2.0 हे. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र एवं 3.0 हे. में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।		
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 51,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 51,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

सैद्धान्तिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. क्यू.3/मा.रा/रेत खदान/2023/794 दिनांक 04/05/2023.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 806 दिनांक 08/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 806 दिनांक 08/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 806 दिनांक 08/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत चेतूपाडा जिला – ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 27 के सरल क्रमांक – 09 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-51,357 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 51,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्न-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत – 51,000** मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.93 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.59 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.82 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 2,50,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम रायपुर के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी एवं 1,32,000 आंगनवाड़ी कि अधोसंरचना विकास हेतु महिला बाल विकास समिती के खाते में जमा की जावेगी	3,82,000/-

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	500
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	300
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	200
2	ग्राम- रायपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4250
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	750
✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी ।			
योग			6000

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

10. **Case No 10091/2023 Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sili Sand Quarry in an area of 4.99 ha. (68,475 cum per year) (Khasra No. 307), Village-Sili, Tehsil-Pichhore, District- Gwalior (MP).**

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sili Sand Quarry in an area of 4.99 ha. (68,475 cum per year) (Khasra No. 307), Village-Sili, Tehsil-Pichhore, District- Gwalior (MP). [429877]		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	307, ग्राम – सिली, तहसील – डबरा, जिला – ग्वालियर (म.प्र.),	4.99 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी, Sand Quarry		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सिंध नदी की सहायक नदी में स्थित है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबैक छोड़ने के कारण 2.251 हे. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र एवं 2.739 हे. में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 68,475 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 68,475 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धान्तिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. क्यू.3/मा.रा/रेत खदान/2023/794 दिनांक 04/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 810 दिनांक 08/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 810 दिनांक 08/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 810 दिनांक 08/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत कुम्हरा जिला – ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 22 दिनांक 02/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम		

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

	पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 27 के सरल क्रमांक - 06 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल- 68,475 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 68,475 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र उत्तर-पूर्व दिशा में Steep Curve लिये हुये है संवेदनशीलता को देखते हुये परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त क्षेत्र को नॉन-माइनिंग क्षेत्र दर्शाया है। अतः समिति द्वारा क्षेत्र की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-**68,475** मी³ प्रति वर्ष दर्शायी गई है अतः समिति ने आवेदित मात्रा को अल्प रूप से कम करते हुये **68,000** घनमीटर/वर्ष रेत की मात्रा अनुसंशित करती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्न-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत - **68,000** मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.86 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 0.97 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 5.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 2,35,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम सिली के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी एवं 1,80,000 आंगनवाड़ी के अधोसंरचना विकास हेतु महिला बाल विकास समिती के खाते में जमा की जावेगी एवं 1,00,000 शासकीय प्राथमिक शाला के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी	5,15,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	500
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	300
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	200

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

2	ग्राम- सिली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4250
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	750
✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।			
			योग 6000

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

11. Case No 10092/2023 Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Semri Sand Quarry in an area of 4.50 ha. (40,500 cum per year) (Khasra No. 621), Village-Semri, Tehsil-Dabra, District- Gwalior (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Semri Sand Quarry in an area of 4.50 ha. (40,500 cum per year) (Khasra No. 621), Village-Semri, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [429827]		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	621, ग्राम – सेमरी, तहसील – डबरा, जिला – ग्वालियर (म.प्र.),	4.50 हेक्टेयर	शासकीय

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

परियोजना की श्रेणी(बी-1 / बी-2)	बी-2 श्रेणी, Sand Quarry
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सिंध नदी में स्थित है, खदान में पानी भरा है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबैक छोड़ने के कारण 1.8 हे. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र एवं 2.7 हे. में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	● परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 40,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 40,500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
सैद्धांतिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. क्यू.3/मा.रा/रेत खदान/2023/794 दिनांक 04/05/2023.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 807 दिनांक 08/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 807 दिनांक 08/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 807 दिनांक 08/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत सिसगांव जिला – ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 08 दिनांक 21/03/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 27 के सरल क्रमांक – 08 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल– 40,680 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 40,500 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्न-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – **40,500** मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.46 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.55 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 2,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम सेमरी के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी एवं 1,10,000 आंगनवाड़ी कि अधोसंरचना विकास हेतु महिला बाल विकास समिति के खाते में जमा की जावेगी	3,10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	400
		4-5 पंक्ति – कटंग बांस	300
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	200
2	ग्राम- सेमरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3800
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	700
✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की			

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।	
परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।	
योग	5400

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. Case No 10128/2023 Shri Bhagwan Singh, Lessee, R/o Makan No. 39, Ward No. 3, Main Road, Rajpoot Mohalla, Kanja, District-Shajapur (MP)-465001, Prior Environment Clearance for Kanja Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (10180 cum per year) (Khasra No. 1405, 1410), Village-Kanja, Tehsil-Shajapur, District-Shajapur (MP).

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री भगवान सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri BHAGWAN SINGH, LEESSEE, Makan no 39 ,ward no 3, menn road rajpoot mohlla kanja shajapur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1405, 1410 (Part) (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Hectare
स्थल	Village - Kanja, Tehsil - Shajapur, District- Shajapur, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 61 दिनांक 18/01/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2 Stone Quarry	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया शाजापुर के पत्र क्रमांक 156-174 दिनांक 27/02/17 के द्वारा 10,180 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,180 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-10,180 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र	

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

में अन्य खदानें	क्रमांक 522 दिनांक 06/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 522 दिनांक 06/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 522 दिनांक 06/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया के ई.डी.एस. के माध्यम से उक्त जानकारी अपलोड कर दी गई है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	01 पेड़ हैं
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर-पूर्व दिशा— रोड़—50 मी., पवन चक्की—114 मी. दक्षिण दिशा— पवन चक्की—328 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—30 के सरल क्रमांक—18 पर दर्ज है।

प्रकरण का परीक्षण :-

1. खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित हुई है। अतः खदान आवंटन से लेकर वर्तमान स्थिति की जानकारी क्रोनोलोजी/पूर्व में प्रदाय की गई पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन।
2. खदान क्षेत्र के उत्तर-पूर्व दिशा पवन चक्की—114 मी. में एवं दक्षिण दिशा— पवन चक्की—328 मी. पर दो पवन चक्की स्थित है। अतः जिला अक्षय उर्जा अधिकारी, जिला—शाजापुर, दूरी संबंध में उपरोक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से विचार कर अपनी अनुशंसा से समिति को अवगत कराये।

13. Case No 10129/2023 Shri Ramprakash Dwivedi, Partner, M/s Anant Infratech R/o Nehru Nagar, District-Rewa (MP)-486005, Prior Environment Clearance for Sitapur Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-30,000, M-Sand-40,000 cum per year) (Khasra No. 418), Village-Sitapur, Tehsil-Maugani, District-Rewa (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामप्रकाश द्विवेदी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Ramprakash Dwivedi, Partner, M/s Anant Infratech, R/o-Nehru Nagar Rewa, District- Rewa, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	418 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare
स्थल	Village - Sitapur, Tehsil- Mauganj, District- Rewa (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 1027 दिनांक 27/02/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2 Stone & M-Sand Quarry	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सैंड-40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सैंड-40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2530 दिनांक 16/08/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2530 दिनांक 16/08/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2530 दिनांक 16/08/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सीतापुर जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 02 पेड़ हैं, जिनमें से 01 काटा जायेगा और उसके एवज में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे ।	

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा— पक्का रोड़, 241 मीटर पर । उत्तर—पूर्व दिशा— शेड 90 मीटर पर ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा ने पत्र क्रमांक 2529 दिनांक 16/08/22 द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन किये जाने) उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त उत्खनिपट्टा सम्मिलित कर लिया जावेग । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—30,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम—सेंड—40,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.12 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.85 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम सीतापुर के निकटतम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ अधिकारी के परामर्श से जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री प्रदान की जावेगी।	40,000
ग्राम सीतापुर में ग्रामीणों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु पंचायत के माध्यम से हैंडपंप लगवाया जावेगा एवं उसके आस पास पानी निकासी हेतु कॉन्क्रीटिंग कर रिचार्ज पिट की व्यवस्था करि जावेगी	1,10,000
कुल	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4810 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-------	---	---------------------	---------------------

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

1	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 570 मीटर परिधि तक)	काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, चिरोल आदि।	650
2	परिवहन मार्ग के किनारे वृक्षारोपण 300 मीटर तक	नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	240
3	ग्राम सीतापुर में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला के परिसर में।	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कचनार, चिरोल, नीम, कदम्ब, बरगद, पाकर, पीपल आदि।	50
4	ग्राम सीतापुर के नजदीक स्थित खेल मैदान में	पुत्रंजीवा नीम, पाकर, कचनार, अमलतास, चिरोल, बरगद, पीपल, फाइकस, कदम्ब, आदि।	100
5	ग्राम सीतापुर के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	सीताफल, मूंगा, आम, संतरा, कटहल, संतरा, जामुन, आदि।	3770
गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा।			
कुल			4810

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No 10138/2023 Shri Pankaj Patidar, Partner, M/s Shri Sawariya Mines, R/o 102, Tipun Tower, Scheme No. 71, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Ambachandan Crusher Stone Quarry in an area of 1.30 ha. (15001 cum per year) (Khasra No. 998, 999/2), Village-Ambachandan, Tehsil-Mhow, District-Indore (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कोग्निजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Pankaj Patidar, Partner, SHREE SAWARIYA MINES, 102 Tipun Tower, Scheme No. 71, Indore (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	998,999/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी की सहमति प्राप्त है) 1.300 Ha.
स्थल	ग्राम AMBACHANDAN तहसील Mhow जिला Indore (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 902 दिनांक 27/4/23 के द्वारा स्वीकृत।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2 Stone Quarry

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

ब्लारिस्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लारिस्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-15,001 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-15,001 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1043 दिनांक 17/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1043 दिनांक 17/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1043 दिनांक 17/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आम्बाचंदन जिला इंदौर के दिनांक 17/08/20 द्वारा खनिज परिवहन ग्रामीण आबादी से बाहर के रास्ते से करने की शर्त पर अनुमति प्रदान की गई है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं जो बैरियर जोन में होने से काटे नहीं जावेंगे ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर-पूर्व दिशा – कच्चा रोड़ 50 मीटर पर । दक्षिण पश्चिम दिशा– पक्का रोड़ 265 मीटर पर, दक्षिण दिशा में 280 मीटर पर कुछ मकान है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आसपास के खदान वालों के है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर ने पत्र क्रमांक 1419 दिनांक 04/07/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी डीएसआर रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

	जाये ।
--	--------

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज क्षेत्र के अंदर ओव्हर वर्डन की डम्पिंग नहीं की जावेगी एवं जैसे –जैसे मटेरियल निकलेगा, उसे बैकफिलिंग में उपयोग किया जावेगा । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—15,001 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.37 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.41 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम आम्बाचन्दन आंगनबाड़ी में अध्यनरत बच्चों के लिए स्कूल बैग, लंच बॉक्स, वाटर बोतल, ड्रेस सेट इत्यादि	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	800
2	परिवहन मार्ग	नीम, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य प्रजातियाँ	100
3	गाँव में वितरण	कटहल, आम, जामुन, मुनगा, आवला एवं अन्य प्रजातियाँ	600
गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा ।			
कुल			1500

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

15. Case No 10130/2023 Shri Raj Rathore, Lessee, R/o 380, Gram-Amba, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP)-457331, Prior Environment Clearance for Piploda Stone Gitti Quarry in an area of 3.00 ha. (Stone-20000, Mineral Waste-1052.7 cum per year) (Khasra No. 29), Village-Piploda, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 09/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राज राठौर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAJ RATHORE, Lessee, R/o 380 , Gram8 Amba, Tehsil Piploda, Ratlam (N.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	29 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 Ha.
स्थल	ग्राम PIPLODA तसहील Piploda जिला Ratlam (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 111 दिनांक 13/01/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2 Stone Gitti Quarry	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष एवं मिनरल वेस्ट-1052.7 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष एवं मिनरल वेस्ट-1052.7 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 391 दिनांक 15/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 391 दिनांक 15/02/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 391 दिनांक 15/02/23 अनुसार 100 मीटर पर अंतर्राज्यी सीमा है	

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

	एवं 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर परिषद् पिपलौदा जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 2873 दिनांक 14/11/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से परिषद् को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 08 पेड़ लगे हैं, जिनमें से 04 पेड़ काटे जायेंगे एवं उनके एवज में 40 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा— कुछ शेड दिखाई दे रहे हैं, वे पूर्व खदानों के हैं । खदान क्षेत्र में से एक हॉलेज रोड़ निकल रहा है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम ने एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 391 दिनांक 15/02/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है, आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टैण्डर्ड शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—20,000 घनमीटर/वर्ष एवं मिनरल वेस्ट—1052.7 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 22.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.04 लाख प्रति वर्ष ।

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पिपलोदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति में पूंजी जमा की जाएगी	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	1.हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 800 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा) 2.पट्टा क्षेत्र में कटे जाने वाले वृक्षों के बदले 4 अवैधानिक क्षेत्र में ही पौधे लगाए जायेंगे	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	960+40 =1000
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (530 मीटर) के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	250
3	शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र पिपलोदा के परिसर में लगाए जाने वाले पौधे	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	300
4	प्रतिबंधित खनन क्षेत्र में किया जाने वाला पौधा रोपण (0.12 हेक्टेयर)	नीम, पीपल, सिस्सू आदि।	100
5	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1950
गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा।			
कुल			3600

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. **Case No 10137/2023 Shri Mahendra Sikarwar S/o Shri Puran Singh Sikarwar, Owner, R/o Village-Kolhera, Near Chowki, District-Morena (MP)-476229, Prior Environment Clearance for Kolkhera Soil Mine in an area of 1.00 ha. (2500 cum per year) (Khasra No. 878, 886, 887, 896, 897), Village-Kolhera, Tehsil-Kailaras, District-Morena (M.P.).**

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 09/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री महेन्द्र सिकरवार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारे मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / क0 / संस्थान का नाम व पता	Shri Mahendra Sikarwar S/o Shri Puran Singh Sikarwar, Owner, R/o Village-Kolhera, Near Chowki, District-Morena (MP)-476229, Prior Environment Clearance for Kolkhera Soil Mine in an area of 1.00 ha. (2500 cum per year) (Khasra No. 878, 886, 887, 896, 897), Village-Kolhera, Tehsil-Kailaras, District-Morena (M.P.). [430895].	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा न0. — 878, 886, 887, 896, 897, ग्राम — कोल्हेरा, तह.— कैलारस, जिला — मुरैना (म.प्र.).	1.00 हेक्टेयर, निजी भूमि (सिंचित) खसरा पी.-2 में अन्य व्यक्तियों के नाम से जमीन दर्ज है।
परियोजना की श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2 श्रेणी, Soil Mine	
खनन कार्य: ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	लागू नहीं। प्रकरण स्वाइल का होने के कारण ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी।	
प्रकरण की स्थिति (नया / क्षमता विस्तार)	नया	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन — 2500मी³/वर्ष हेतु (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार) आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन — 2500 मी³/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
सैद्धांतिक सहमति / LOI	पत्र क्र0. 1189 दिनांक 17/11/2022.	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 451 दिनांक 19/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित नहीं है, कुल रकबा 01.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	वनसंरक्षक सामान्य वनमण्डल मुरैना के पत्र 4748 दिनांक 14/09/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक 451 दिनांक 19/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट — 250 मी. से दूर है।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत कैलारस, जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक	

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

की अनुमति	21/04/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा— कच्चा रोड़ 40 मीटर पर एवं पश्चिम दिशा— कच्चा रोड़ 120 मीटर पर । दक्षिण पश्चिम दिशा— 300 मीटर पर आबादी।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 451 दिनांक 19/04/2023 अनुसार अवगत कराया कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

प्रकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि फरवरी, 2022 की गूगल इमेज अनुसार खनन् कार्य परिलक्षित हो रहा है परंतु जनवरी, 2019 की गूगल इमेज अनुसार खनन् कार्य नहीं दिख रहा है। अतः इस संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि जिला खनिज अधिकारी स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये।

17. Case No. - 5579/2017 M/s D.G.Minerals Pvt. Ltd, 158, 3rd Floor, Zone-II, M.P.Nagar, Bhopal, MP – 462011. Prior Amendment in Environment Clearance for Granite Deposite in an area of 8.0 Ha.. (Granite-12,500 Cum/Year and M-Sand– 1,24,624 Cum/Year) (Khasra no. 110 (Part)) at Village- Pratappura , Tehsil - Lavkushnagar, Dist. Chhatarpur (MP)

प्रकरण में समिति की पूर्व की 81वीं बैठक दिनांक 22/06/17 को ग्रेनाइट-33,125 डीपीए हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी। सिया के पत्र क्रमांक 1376 दिनांक 15/12/17 के द्वारा ग्रेनाइट-33,125 डीपीए हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर फार्म-4 के साथ लीज आर्डर, ईएमपी, पीएफआर एवं संशोधित माइन प्लान प्रस्तुत कर ग्रेनाइट 12,500 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-1,24,624 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 09/08/23 को रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्निजेंस रिसर्च इं. प्रा. लि., नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि ग्रेनाइट उत्खनन् के दौरान निकलने वाले

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

ओव्हर वर्डन से एम-सेंड बनायेंगे, जिसे पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन संबंधी है । परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष पूर्व में प्रदाय की गई पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं सके । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें :-

1. फेंसिंग की जियोटैग फोटो ।
2. खदान के संचालन के संबंध में जिला खनिज अधिकारी स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये ।
3. परियोजना प्रस्तावक सी.ई.आर. संबंधी शर्तों (विद्यार्थियों को स्कालरशिप, सेनीटेशन, 02 कम्प्यूटर का शाला में वितरण) के पूर्णतः पालन बावत् समय-सीमा संबंधी जानकारी ।

18. Case No 8226/2021 Shri ACHAL SHARMA, H.I.G.-10, Deendayalpuram Jhansi Road Shivpuri, District- Shivpuri, M.P Madhya Pradesh 473551 Amendment in Prior Environment Clearance for Garetha Stone & M-Sand Quarry in an area of Area 2.95 ha. (Stone 10000cum/yr & 50000cum/yr Overburden) (Khasra No. 855), Village - Garetha, Tehsil - Pichore, Dist. Shivpuri (MP)

प्रकरण में समिति की पूर्व की 486वीं बैठक दिनांक 26/02/21 को पत्थर-1,29,988 घन मीटर/वर्ष एवं वेस्ट-24,670 घनमीटर/वर्ष हेतु श्री नवीन शर्मा के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी । सिया के पत्र क्रमांक 1016 दिनांक 14/07/22 द्वारा पत्थर-1,29,988 घन मीटर/वर्ष एवं वेस्ट-24,670 घनमीटर/वर्ष हेतु परियोजना प्रस्तावक के नाम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति स्थानांतरित की गई ।

परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर फार्म-4 के साथ लीज आर्डर, ईएमपी, पीएफआर एवं संशोधित माइन प्लान प्रस्तुत कर पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 09/08/23 को रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल ईएनसी, बडोदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि -

पत्थर उत्खनन के दौरान निकलने वाले ओव्हर वर्डन से एम-सेंड बनायेंगे, जिसे पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन संबंधी है । परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष पूर्व में प्रदाय की गई पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन संबंधी परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि

- As per the Existing EC condition we have to plant the 4440nos Plants at the ML area, no mining zone & at village area in consultation with Gram panchayat/District Administration or at any chunk land.
- In compliance of this initially we have planted about 300nos of plants at the mine lease area and along the hauld road. (Photos of which are attached)
- We have also contributed in the plantation programme carried out by Gram panchayat Garetha under Ajadi k Amrit Mahotasav in village areas (about 500 nos plants)
- We have also distributed saplings to the nearby villagers and about 100 saplings distributed to the villagers of Garetha village.

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें :-

- परियोजना प्रस्तावक वन विभाग/उद्यानिकी विभाग की रोपणी से 2000 पौधों क्रय कर 1000 पौधों का स्वयं रोपण एवं 1000 पौधों का गांवों में वितरण संबंधी प्रमाणित दस्तावेज मय फोटोग्राफ के प्रस्तुत करें ।

19. Case No 7255/2020 Shri Narayan Yadav S/o Shri Punam Chand Yadav R/o 108, Abdalpura, District Ujjain (MP) Prior Amendment in Environment Clearance for approval of Kesuni Stone (Gitty) Quarry in an area of 2.50 ha. (Stone (Gitty) 4500 cum per annum and M-Sand- 10,500 Cum/Year) (Khasra No. 80/2, 89) at Village- Kesuni, Tehsil- Ujjain, District- Ujjain (MP).

प्रकरण में समिति की पूर्व की 444वीं बैठक दिनांक 03/07/20 को पत्थर-1,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी । सिया के पत्र क्रमांक 2047 दिनांक 07/08/20 के द्वारा पत्थर-1,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी ।

प्रकरण आज सेक की 668वीं बैठक दिनांक 09/08/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से –

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट छिंदवाडा (संशोधित रेत खदान) :

श्री रविन्द्र परमार, खनिज अधिकारी, छिंदवाडा ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का आज दिनांक 09/08/2023 को समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत की गई । समिति की 664 वीं बैठक दिनांक 28.07.2023 को "कॉलम-13 जिसमें रेत की मात्रा (पोस्ट मानसून) दर्शायी गयी है में कई जगह उपलब्ध मात्रा से अधिक Replenishment Quantity मात्रा का कॉलम 16 में दर्शाया गया है, अतः कॉलम 12 एवं 16 में आवश्यक सुधार कर पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे" ।

समिति के निर्देशानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में आवश्यक सुधार कर श्री रविन्द्र परमार, खनिज अधिकारी, छिंदवाडा ने पत्र क्रमांक 906 दिनांक 07/08/23 के द्वारा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गई, समिति के समक्ष दिनांक 09/08/23 को प्रस्तुत की गई । समिति को खनिज अधिकारी ने बताया कि –

- जिला छिंदवाडा की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (खनिज रेत) प्रस्तुत की गई है जिसका परीक्षण संदर्भित बैठक में किया जाकर समिति द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है कि "कॉलम-13 जिसमें रेत की मात्रा (पोस्ट मानसून) दर्शायी गयी है में कई जगह उपलब्ध मात्रा से अधिक Replenishment Quantity मात्रा का कॉलम 16 में दर्शाया गया है, अतः कॉलम 12 एवं 16 में आवश्यक सुधार कर पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे" । उक्त आपत्ति के पालन में पुनरीक्षण करने पर पाया गया कि आपत्ति अनुसार विसंगति इसलिये उत्पन्न हुई है कि उपरोक्त तालिका के

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

कॉलम-16 में त्रुटिवश विगत तीन वर्षों का संयुक्त उत्पादन दर्शाया गया है। जिला स्तरीय विशेष मूल्यांकन समिति के समक्ष दिनांक 04.08.2023 को उपस्थित होने पर उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण दर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

- निर्देश के पालन में स्पष्टीकरण है कि खनि निरीक्षको द्वारा रेत खदानों में रेत पुर्नभरण के अध्ययन हेतु भौतिक सत्यापन कर प्रस्तुत प्रतिवेदनों में रेत निक्षेपण की मोटाई में वृद्धि होने से तालिका के सरल क्रमांक 1, 2, 4, 5, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 34 एवं 41 पर उल्लेखित रेत खदानों में उपलब्ध रेत मात्रा में वृद्धि हुई है तथा रेत निक्षेपण की मोटाई/क्षेत्र (टंकण त्रुटि के कारण) में कमी होने से तालिका के सरल क्रमांक 3, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 एवं 42 पर उल्लेखित रेत खदानों के उपलब्ध रेत मात्रा में कमी हुई है, उक्तानुसार रेत उपलब्धता में वृद्धि एवं कमी का अवलोकन/सत्यापन जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.07.2023 में किया जाकर अनुमोदन किया गया है (सुलभ संदर्भ हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.07.2023 में अनुमोदित तालिका पेज नंबर 45-46)।
- कृपया उक्त बैठक में दिये निर्देशानुसार संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (खनिज रेत) में आवश्यक सुधार कर पुनः अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। यदि प्रस्तुत डी.एस.आर. में पोर्टल पर अपलोड होने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होता है तो उन सुझावों का तदनुसार निराकरण किया जाकर पुनः डी.एस.आर. संशोधित कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावेगी।

समिति ने खनिज अधिकारी, छिंदवाडा के पत्र क्रमांक 906 दिनांक 07/08/23 के द्वारा प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के रिप्लेनिश स्टडी तालिका के पेज नं.-43 एवं 44 के सरल क्रमांक-24 एवं 26 में उल्लेखित वारादेवीखापा एवं मालेगांव की खदानों की रिप्लेनिश मात्रा एवं वर्षवार विवरण संतोषजनक न होने के कारण इन दोनों खदानों कमशः वारादेवीखापा एवं मालेगांव को छोड़कर, रिप्लेनिश स्टडी तालिका पेज नं.-43 एवं 44 में उल्लेखित शेष अन्य खदानों के विवरण संतोषजनक होने से अनुमोदन हेतु सिया को प्रेषित किया जाये।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नर्मदापुरम (संशोधित रेत खदान) :

समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत नर्मदापुरम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संशोधन हेतु आज दिनांक 09/08/2023 को पुनः श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी, नर्मदापुरम ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ मान्. एनजीटी का आदेश की प्रति से भी समिति का अवगत कराया। समिति ने जिला खनिज अधिकारी, नर्मदापुरम को मा. एनजीटी के आदेश का अध्ययन कर उसके अनुरूप कार्यवाही की जाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु पर चर्चा –

In case of the sand mine cases, the committee is of the opinion that:

1. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 अगस्त 2023

2. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
3. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
4. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
5. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
6. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
7. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
8. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
9. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 अगस्त 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 अगस्त 2023

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 अगस्त 2023

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2023

29. LPG gas may be provided for camping labour under “Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon’ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon’ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle’s health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under “Ujjwala Yojna” to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP’s commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

668वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 अगस्त 2023

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधों जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बाँस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

